

नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत

जिला

विषय: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना - मध्यप्रदेश के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना हेतु प्रस्ताव ।

मैं 'नंदन फलोद्यान' उपयोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण कर फलोद्यान विकसित करवाना चाहता हूँ । मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भूअभिलेख ऋण पुस्तिका भाग - 1 की प्रतिलिपि संलग्न है । अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :-

1. हिताग्राही का नाम :
2. पिता / पति का नाम :
3. ग्राम :
4. धारित कुल भूमि का रकबा :हेक्टेयर
5. प्रस्तावित भूमि का रकबा :हेक्टेयर
जिस पर फलोद्यान विकसित किया जायेगा
6. खसरा नंबर :जिसमें उक्त फलोद्यान विकास का कार्य प्रस्तावित है ।
7. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या
.....
.....
.....
8. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्रोत

हिताग्राही के हस्ताक्षर व नाम